न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/ कैम्प कोर्ट मिलकपुर)
पीठासीन अधिकारी : श्री बाल कृष्ण तिवाड़ी आरएएस
मुकदमा नं0 1/86/13

निर्णय दिनांक : 26.05.2017

उनवान

1. मम्मल
2. मोहम्मद
3. हबलु
4. जुम्मेखां
5. जोरमल
6. ईदु पुत्रांन हरिसिंह जाति मेव निवासी ग्राम जाडोली तहसील रामगढ जिला अलवर।

.............................प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार रामगढ।

............अप्रार्थी

(अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट)

निर्णय

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआरएक्ट इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थीगण की खरीदशुदा आराजी खसरा नम्बर हाल व गत खरा नम्बर 2 व 3 वाके ग्राम जाडोली में स्थित आराजी जो प्रार्थी ने जुगलकिशोर दत्तक पुत्र पार्वती निवासी मिलकपुर से खरीदा था तथा खातेदारी भी प्रार्थीगण ने ही ली थी। जिसका इन्तकाल सं0 182 भी प्रार्थी के पक्ष में स्वीकार हुआ था तथा जमाबन्दी में भी अमल हो गया था। परन्तु सम्वत 2058 में बन्दोबस्त विभाग ने बिना किसी अधिकार के पूर्व इन्द्राज को बदलते हुए पुनः जुगलकिशोर के पक्ष में जमाबन्दी में इन्द्राज कर दिया जो गैर कानूनी तरीके से गलत इन्द्राज किया है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी हाल खसरा नम्बर 2 रकबा 0.47, 3 रकबा 0.33 हैक्ट0 वाके ग्राम जाडोली तहसील रामगढ जिला अलवर के उक्त गलत इन्द्राज को दुरूस्त कर पुनः प्रार्थीगण के नाम का इन्द्राज करने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत शिविर /कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत मिलकपुर में दिनांक 26.05.2017 को पेश हुई। राजस्व लोक अदालत शिविर /कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत मिलकपुर में पैरोकार सरकार ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया कि दौराने बन्दोबस्त सम्वत 2058 नामान्तकरण सं0 617 निर्णय दिनांक 15.12.95 जो सनद के आधार पर खातेदारी का स्वीकृत

प्रार्थीगण :-

मम्मल, मोहम्मद, हबलु, जुम्मेखां, जोरमल,

हुआ है, का अमल राजस्व रिकार्ड में नही हुआ है। नामान्तकरण सं0 617 स्वीकृतशुदा है जिसका अमल रिकार्ड में कराया जाना उचित है।

पत्रावली का राजस्व लोक अदालत शिविर /कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत मिलकपुर में दिनांक 26.05.2017 को अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं पैरोकार सरकार के जवाब के मुताबिक प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात एवं पैरोकार सरकार के जवाब के आधार पर प्रार्थना पत्र 136 एलआरएक्ट स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार रामगढ को आदेशित किया जाता है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 2 रकबा 0.47, 3 रकबा 0.33 हैक्ट0 वाके ग्राम जाडोली तहसील रामगढ जिला अलवर के गलत इन्द्राज को दुरूस्त कर पुनः प्रार्थीगण के नाम का इन्द्राज हाल राजस्व रिकार्ड में नामान्तकरण सं0 617 के मुताबिक अमल किया जावे। तहसीलदार रामगढ को अहकाम जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर लोक अदालत ग्राम पंचायत मिलकपुर में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

प्रार्थीगण :-